

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

वाद संख्या 129/2025

सीताराम पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सांगोद हाल निवासी कोटा
जिला कोटा। -वादी-

बनाम

- पन्नालाल पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सांगोद,
- राजस्थान सरकार जर्घे तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। -प्रतिवादीगण-

वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 209 आर टी एक्ट
—:: निर्णय ::—

उपस्थिति :-

- श्री मोहनलाल पोटर (वकील वादी)
- श्री जितेन्द्र कुमार सुमन (वकील प्रतिवादी)

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि :-

• यह कि वादी व प्रतिवादी नं. 1 के शामलाती खाते एवम् कब्जे काशत की आराजी माल ग्राम थूनपुर पटवार हल्का मण्डीता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :-

खाता संख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
54	53	376/720	1.38

कुल किता 1 की 1.38 हेक्टर आराजी स्थित है जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा ओर प्रतिवादी नं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है।


खाता संख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
55	52	646	0.73

कुल किता 1 की 0.73 हेक्टर आराजी स्थित है जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा ओर प्रतिवादी नं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है।

माल ग्राम गुवावदा पटवार हल्का मण्डीता तहसील सांगोद जिला कोटा की

खाता संख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
14	18	161	2.10

कुल किता 1 की 2.10 हेक्टर आराजी स्थित है जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा ओर प्रतिवादी नं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है।


उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

माल ग्राम खोवदा पटवार हल्का मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
26	28	100	0.02
		102/249	2.79
		103	0.28
		104	0.29
		105	0.30
		99	0.01

कुल कित्ता 6 की 3.69 हेक्टर आराजी स्थित है जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा ओर प्रतिवादी नं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है।

- यह कि उक्त आराजीयात का वादी और प्रतिवादी कं. 1 ने अपने पिता के जीवनकाल से ही निम्न प्रकार से मोके पर बंटवारा कर रखा है :-

वादी के कब्जे काशत की आराजी माल ग्राम गुवावदा पटवार हल्का मण्डीता तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सख्या नई

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
14	18	161	2.10

कुल कित्ता 1 की 2.10 हेक्टर सम्पूर्ण एवं

माल ग्राम खोवदा पटवार हल्का मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा की

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
26	28	99	0.01
		100	0.02


102/249 2.79 में से 1.82 दक्षिणी

कुल कित्ता 3 की 1.85 हेक्टर आराजी पर काबिज काशत है।

प्रतिवादी नं. 1 के कब्जे काशत की आराजी माल ग्राम थूनपुर पटवार हल्का मण्डीता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है-

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
54	53	376/720	1.38

कुल कित्ता 1 की 1.38 हेक्टर आराजी सम्पूर्ण


उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
55	52	646	0.73

कुल किता 1 की 0.73 हेक्टर आराजी सम्पूर्ण आराजी पर काबिज है एवं माल ग्राम खोबदा पटवार हल्का मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा की


खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
26	28	103	0.28
		104	0.29.
		105	0.30

102/249 2.79 में से 0.97 उत्तरी

कुल किता 4 की 1.84 हेक्टर आराजी पर काबिज काश्त है।

- यह कि वादी को अपने हिस्से आराजी पर तारबन्दी ओर समतलीकरण करवाने की आवश्यकता होने से वादी को बंटवारा करवाने की आवश्यकता हे वादी ने बटवारा करवाने के लिए कई बार प्रतिवादी से बंटवारा करवाने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादी कं.1 बंटवारा करवाने में बादी का कोई सहयोग नहीं करता हे वादी ने प्रतिवादी नं. 1 से तहसील में चल कर बटवारा करवाने की कही तो प्रतिवादी नं. 1 में बादी को आराजी हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी ओर वादी के बटवारा करवाने की बात को अनसुनी कर दिया।
- यह कि प्रतिवादी नं. 2 राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है और अन्य कोई सहायता नही चाही गई है। वाद कारण दिनांक 1/06/2025 को वादी ने प्रतिवादी कं. 1 से तहसील कार्यालय सांगोद मे चल कर विधिवत बंटवारा करने की कहने पर भी बटवारा करवाने में कोई सहयोग नहीं किया तथा वादी को हिस्से आराजी से बेदखल करने की धमकी देने से अन्तिम बार वाद कारण उत्पन्न हुआ है।
- अतः वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी क्रम ता 2 के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे की वाद पत्र की मद नं. 2 में वर्णित बंटवारा अनुसार बंटवारा कर राज लगान अलग-अलग कर खाता अलग करने की कृपा करें तथा रहन अपने अपने बैंक का खाते पर दर्ज करने की भी कृपा करें तथा प्रतिवादी कं. 1 वादी की हिस्से आराजी को दोराने दावा प्रतिवादी कं. 1 वादी को अपनी आराजी से अवेध बेदखल करने में सफल हो जावे तो रिक्त आधिपत्य दिलाये जाने की कृपा करें।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी कं. 1 की ओर से इकबालीया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार कर दावा वादी डिक्री करने का निवेदन किया। तत्पश्चात् उभय पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया एवं मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री करने में सहमति व्यक्त की।


उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात एवं राजीनामा पक्षकारान का अवलोकन करने के उपरान्त दावा वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

अतः दावा वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर वादी एवं प्रतिवादी कं. 1 का निम्न प्रकार से खाता व लगानराज पृथक-पृथक विभाजित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी सीताराम पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सांगोद :-

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
14	18	161	2.10

कुल किता 1 की 2.10 हेक्टर सम्पूर्ण एवं

माल ग्राम खोबदा पटवार हल्का मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा की

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
26	28	99	0.01
		100	0.02

102/249 2.79 में से 1.82 दक्षिणी

कुल किता 3 की 1.85 हेक्टर आराजी पर काबिज काशत है।

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 पन्नालाल पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सांगोद :-

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
54	53	376/720	1.38

कुल किता 1 की 1.38 हेक्टर आराजी सम्पूर्ण


खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
55	52	646	0.73

कुल किता 1 की 0.73 हेक्टर आराजी सम्पूर्ण आराजी पर काबिज है एवं माल ग्राम खोबदा पटवार हल्का मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा की

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
26	28	103	0.28
		104	0.29.
		105	0.30


102/249 2.79 में से 0.97 उत्तरी

कुल किता 4 की 1.84 हेक्टर आराजी पर काबिज काशत है।


उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी कं. 1 का बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक खाता व लगान दर्ज किये जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद सांगोद कानून

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्दाई
(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बड़जलास - श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 129/2025

सीताराम पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सांगोद हाल निवासी कोटा
जिला कोटा।
-वादी-

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सांगोद,
2. राजस्थान सरकार जर्घे तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। -प्रतिवादीगण-

वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 209 आर टी एक्ट

तारीख फैसला दिनांक यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू
पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादी मुताबिक राजीनामा
स्वीकार कर वादी एवं प्रतिवादी कं. 1 का निम्न प्रकार से खाता व लगानराज पृथक-पृथक विभाजित
किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी सीताराम पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर
तहसील सांगोद :-

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
14	18	161	2.10

कुल किता 1 की 2.10 हेक्टर सम्पूर्ण एवं

माल ग्राम खोबदा पटवार हल्का मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा की

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
26	28	99	0.01
		100	0.02


102/249 2.79 में से 1.82 दक्षिणी

कुल किता 3 की 1.85 हेक्टर आराजी पर काबिज काश्त है।

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 पन्नालाल पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम
थूनपुर तहसील सांगोद :-

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
54	53	376/720	1.38

कुल किता 1 की 1.38 हेक्टर आराजी सम्पूर्ण


उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
55	52	646	0.73


कुल किता 1 की 0.73 हेक्टर आराजी सम्पूर्ण आराजी पर काविज है एवं नाल ग्राम खोबदा पटवार हल्का मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा की

खाता सख्या नई	पुरानी	ख.नं.	रकबा
26	28	103	0.28
		104	0.29
		105	0.30


102/249 2.79 में से 0.97 उत्तरी

कुल किता 4 की 1.84 हेक्टर आराजी पर काविज काश्त है।

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी कं. 1 का बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक खाता व लगान दर्ज किये जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चर्चा प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। निज ————— मुबलिग ————— बाबत ————— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ————— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ————— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख १.३.१८ को जारी की गई।


(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा
सांगोद।

मुद्दाई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकुमनामा		
बाबत इजराय हुकुमनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीजान			मीजान		


(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा
सांगोद।